17 फाइल संख्या 15-03/जीए/2020-एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 31 दिसंबर, 2020

विषय : **दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को ऑनलाइन आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त**

प्राधिकरण ने दिनांक 22 दिसंबर, 2020 को हुई अपनी 32वीं बैठक में दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को ऑनलाइन आयोजित 31वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की और उसका अंगीकरण इस संशोधन के साथ किया कि कार्यसूची की मद 31.5(ख) के अंतर्गत "प्रस्ताव" शब्द से पहले "संशोधित" शब्द जोड़ा जाए।

2. तदनुसार खाद्य प्राधिकरण की ऑनलाइन आयोजित 31वीं बैठक का कार्यवृत्त एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

(पंकज गेरा)

सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)

संलग्नक :

दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को ऑनलाइन आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 के 11:00 बजे ऑनलाइन आयोजित
खाद्य प्राधिकरण की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की इकतीसवीं बैठक एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 के 11:00 बजे सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन हुई। भागीदारों की सूची **अनुबंध-1** पर संलग्न है।

प्रमुख (सामान्य प्रशासन), एफ.एस.एस.ए.आई ने अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई, प्राधिकरण के सदस्यों और उद्योग के विशेष आमंत्रितों का बैठक में स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष महोदया को अपने स्वागत वक्तव्य से बैठक आरंभ करने का अनुरोध किया।

अपने स्वागत वक्तव्य में अध्यक्ष महोदया ने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण सिंघल का खाद्य प्राधिकरण की उनकी पहली बैठक में स्वागत किया तथा पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वीकरण के लिए लबित मसौदा/अंतिम अधिसूचनाओं को क्लीयर कराने के बारे में उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा उद्योग के विशेष आमंत्रितियों का बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। आगे, उन्होंने सचिवालय को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत निर्देश तब तक जारी न करने की सलाह दी, जब तक वे अत्यावश्यक न हों तथा अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत जारी मौजूदा निर्देशों की पुनरीक्षा करने का निर्देश दिया।

मद सं0 1: दिनांक 29.05.2020 को आयोजित 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 29 मई, 2020 को आयोजित प्राधिकरण की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसका अंगीकरण किया गया। तथापि फिक्की के विशेष आमंत्रिती ने बताया कि नाश्ते के धान्य संबंधी कार्यसूची की मद संख्या 30.1(क)(I)(i) तथा ताजा/अप्रयुक्त वनस्पति तेल में टोटल पोलर कंपाउंडों की सीमा संबंधी कार्यसूची की मद संख्या 30.1(क)(II)(क) के बारे में सम्मतियाँ ई-मेल दिनांक 23 जून, 2021 से भेज दी गई थीं। यह सूचित किया गया था कि नाश्ते के धान्य संबंधी मद पर 31वीं बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष ने कार्यसूची की मद पर विशेष आमंत्रिती की सम्मतियाँ नोट करने का निर्देश दिया।

मद संख्या 2 : 30वीं बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

खाद्य प्राधिकरण ने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की। तथापि ए.आई.एफ.पी.ए के विशेष आमंत्रिती ने कहा कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियम, 2020 के राजपत्र में प्रकाशन से पहले उसकी अंतिम अधिसूचना देखना चाहेंगे। अध्यक्ष ने विनियम प्रभाग को उद्योग से प्राप्त टिप्पणियों का एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा विश्लेषण तथा उस पर निर्णय एवं औचित्य दो दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विशेष आमंत्रिती को भी अनुरोध किया गया कि वह एफ.एस.एस.ए.आई को टिप्पणियों की एक संक्षिप्त सारणी पुन: उपलब्ध करा दें।

आगे, विशेष आमंत्रिती ने तीन अधिसूचनाओं के प्रकाशन में हो रही देरी पर भी चिंता व्यक्त की। ये अधिसूचनाएँ खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त पानी के उसमें मौजूद कैल्सियम तथा मैग्नेसियम की न्यूनतम सीमा के प्रति अनुरूपता से छूट देने तथा उसके पैकेजबंद पेय जल के मानकों के अनुरूप होने; प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों; और वापसी योग्य काँच की बोतलों में पैक किए गए बीवरेजों में मीठाकारकों की अनुमति देने के संबंध में हैं। उन्होंने इन अधिसूचनाओं पर कार्रवाई जल्दी करने का भी अनुरोध किया। सुझावों को नोट करते हुए प्राधिकरण ने सदस्यों को सूचित किया गया कि "नाश्ते के धान्य, बाजरे का आटा तथा ज्वाट का आटा" के मानकों से संबंधित प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों की अधिसूचना का कुछ अंश इस बैठक में अनुमोदन के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया है। अनुमोदन के बाद प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों से संबंधित समग्र अधिसूचना को जल्दी अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

मद संख्या 3 : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने अपनी रिपोर्ट में प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद की गई कार्रवाई तथा हुए विकासों के बारे में सूचना दी।

क) विनियमों के संबंध में उन्होंने बताया कि एक मूल विनियम अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 सहित विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचनाओं तथा 8 मसौदा संशोधन अधिसूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया गया है। आगे, लेबलिंग और प्रदर्श तथा शिशु पोषण आहारों संबंधी नए मूल विनियमों सहित 8 अंतिमित संशोधन अधसूचनाओं को अंतिमित किया जा चुका है तथा उनकी विधीक्षा तथा उन पर सरकार से अनुमोदन लेने की कार्रवाई जा रही है।

ख) उन्होंने प्राधिकरण को सूचित किया कि प्रत्येक मूल विनियम में संशोधनों के अनेक प्रस्तावों को समेकित करने तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वर्ष में दो से अनधिक बार (वरियत: प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में) प्रस्ताव भेजने की सीमा तैयार

करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, अत्यावश्यकता की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई के पूर्वानुमोदन से ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

ग) उन्होंने प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों, खाद्य परीक्षण और निगरानी, खाद्य आयात, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण, खाद्य सुरक्षा अनुपालन, शासन और प्रशासन तथा सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी।

प्राधिकरण ने बैठक के दौरान प्रस्तुत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रपोर्ट को नोट किया। विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध-2 **पर दी गई है।**

अनुमोदन के लिए कार्यसूची

31.1 खाद्य मानक/विनियम

क. प्रस्तावित अंतिम अधिसूचनाएँ -

I. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधन;

i. बासमती चावल के मानकों से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम

क) विशेष आमंत्रितियों ने बासमती चावल के प्रस्तावित मानकों के क्रियान्वयन में व्यापार संबंधी व्यावहारिक चुनौतियों का मुद्दा उठाया तथा कहा कि वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटी ईएम) में दत्त संग्रहण केंद्र बनाने का अनुरोध पहले ही कर चुके हैं।

ख) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया कि उद्योग के दावे के समर्थन में प्रामाणिक डैटा की जरूरत है। उद्योग द्वारा प्रस्तुत डैटा विशद नहीं है तथा यह अखिल भारतीय स्थिति का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता। अत: इस प्रसंग में राष्ट्रीय डैटा संग्रहण केंद्र स्थापित करने के लिए एनआईएफटीएम के साथ काम करने का प्रस्ताव है।

ग) अध्यक्ष ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अनुरोध किया कि वे डैटा संग्रहण कार्य जारी रखें, ताकि उस डैटा को एफ.एस.एस.ए.आई के वैज्ञानिक पैनल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। आगे, जहाँ तक संभव हो, रीति के अनुसार उद्योग को वैज्ञानिक पैनलों के समक्ष वैज्ञानिक अथवा तकनीकी डैटा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाए।

घ) विशेष आमंत्रितियों ने यह कहते हुए विनियमों में ''टिबर'' की नामावली का मुद्दा भी उठाया कि यह एक व्यापारिक नाम है तथा इसे तकनीकी विनियमों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह सूचित किया गया कि इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय, निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा आल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोशिएशन ने भी समीक्षा की थी तथा बासमती चावल के नाम में ''टिबर'' शब्द के प्रयोग के संबंध में उनकी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह एक सामान्यत: स्वीकृत शब्द है।

ङ) आगे, विशेष आमंत्रितियों ने अधिसूचनाओं पर उनकी टिप्पणियों की स्वीकृति/निरसन का औचित्य जानने की भी इच्छा व्यक्ति की। अध्यक्ष ने संबंधित संगठन/संघ विशेष की टिप्पणियों की स्वीकृति/निरसन का औचित्य उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। विशेष आमंत्रिती ने प्राधिकरण के ध्यान में लाया कि इस विनियम में 'अतिरिक्त लंबा दाना' की कोई परिभाषा नहीं है तथा सुझाव दिया कि दीर्घीकरण अनुपात के परीक्षण की पद्धति को ईआईसी के समनुरूप किया जाए।

इन चर्चाओं के साथ अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

ii. नाश्ते के धान्य, बाजरे के आटे तथा ज्वार के आटे से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में अंतिमित (मसौदा) संशोधन अधिसूचना

क) विशेष आमंत्रितियों ने सूचित किया कि बाजरे के आटे तथा ज्वार के आटे के प्रस्तावित मानक एल्कोहलीय अम्लता तथा

आर्द्रता अंश के संबंध में इतने कठोर हैं कि ताजा उत्पादित उत्पादों सहित बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पाद इन मानकों का अनुपालन नहीं कर सकते। यह स्पष्ट किया गया कि दोनों मानदंडों की सीमा भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तय किए गए थे तथा आर्द्रता अंश के कारण एफ्लाटोक्सिन की मौजूदगी तथा उच्चतर एल्कोहलीय अम्लता के कारण उत्पन्न हुई सड़ांध तथा अप्रिय गंध को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि संघों द्वारा प्रस्तुत डैटा को वैज्ञानिक पैनल द्वारा तकनीकी रूप से अपर्याप्त पाया गया। अत: संघों को आईआईएमआर से मिलकर डैटा तैयार करने के लिए 3 महीनों का समय दिया गया, जिससे उसे विचार के लिए वैज्ञानिक पैनलों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

ख) विशेष आमंत्रितियों ने प्रसंस्करण पद्धतियों संबंधी विनियम 2.4.35(2) में ''इत्यादि'' शब्द जोड़ने का अनुरोध किया, जिससे खाद्य कारोबारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रसंस्करण तकनीकों/पद्धतियों को सीमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने इसे नोट किया तथा खंड में उपयुक्त संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की।

इन अवलोकनों के साथ उपर्युक्त पैरा 'ख' के संशोधनों के अनुसार प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

II. ट्रांस-फैट की सीमा संबंधी खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2019 में संशोधन संबंधी अंतिमित (मसौदा) अधिसूचना

प्राधिकरण ने अंतिमित अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया। तथापि, विशेष आमंत्रिती ने अंतिमित उत्पाद में प्राकृतिक ट्रांस-फैट को अलग करने के लिए परीक्षण प्रोटोकॉलों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया। सलाहकार (विज्ञान और मानक) ने बताया कि इस विनियम का आशय खाद्य वैल्यू चेन से उद्योग में तैयार ट्रांस-फैट को समाप्त करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपलब्ध परीक्षण पद्धतियों से औद्योगिक तथा

प्राकृतिक ट्रांस-फैट को अलग-अलग मापा जा सकता है। औद्योगिक ट्रांस-फैटों को 2% निर्धारित सीमा में रखने के लिए उत्पादकों को अपनी प्रसंस्करण पद्धतियों में सुधार करना होगा/नूतनता लानी होगी।

ख. प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना

I. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधन

i. भेड़ के दूध के मानक का पुनरीक्षण

ii. जैतून के परिशोधित तेल तथा अतिरिक्त कच्चे जैतून के तेल में अंतर ज्ञात करने के मानदंड

iii. मोरिंगा के तेल के मानक का निर्धारण

iv. गेहूँ के आटे अथवा परिणामी गेहूँ के आटे के मौजूदा मानक का पुनरीक्षण

v. सभी प्रकार के कदन्नों का मसौदा (सामान्य) मानक

vi. 'अल्प सोडियम लवण' के लिए अतिरिक्त लेबलिंग उपबंध

vii. 'प्राकृतिक खनिज जल' तथा 'पैकेजबंद पेय जल' में द्रव नाइट्रोजन की डोजिंग

viii. जेईसीएफए (2017) विशिष्टि के अनुसार स्टीवियॉल ग्लाकोसाइड के मानक का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

II. मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) प्रथम संशोधन विनियम

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

III. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में संशोधन : पेस्टीसाइड अवशिष्टों का एमआरएल नियत करना

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

IV. खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 के फॉर्म-1 के विभिन्न उपबंधों के बारे में सिफारिशें

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

V. खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूनत खाद्य) विनियम, 2016 पर सिफारिशें

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

VI. मौजूदा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

VII. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में चला/दाल में केसरी दाल की सांयोगिकमौजूदगी से संबंधित संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

VIII. गन्ना गुड़ और पामिरा गुड़ में व्हाइट शूगर की मिलावट कम करने के लिए अपचायी शर्करा की सीमा

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

IX. शहद के मानकों में संशोधन - केवल सूचनार्थ

विशेष आमंत्रितियों ने प्राधिकरण को शहद कर परीक्षण पद्धति के संबंध में सम्मतियाँ देने के लिए समय देने का अनुरोध किया, जिस पर उन्हें सम्मतियाँ गुणता आश्वासन प्रभाग को प्रस्तुत करने को कहा गया।

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

ऊपर क्रम संख्या 1 से 6 तथा 8 के बारे में विशेष आमंत्रिती ने प्राधिकरण को प्रस्तावित मसौदा विनियमों के अध्ययन तथा उन पर सम्मतियाँ देने के लिए समय देने का अनुरोध किया। यह स्पष्ट किया गया कि ये विनियम अभी मसौदा अवस्था में होने के कारण विशेष आमंत्रिती इन पर अपनी सम्मतियाँ बैठक के बाद भी दे सकते हैं, जिन

पर अन्य हितधारकों से मसौदा अधिसूचना चरण के बाद प्राप्त अन्य सम्मतियों के साथ विचार किया जा सकता है।

ग. अन्य मुद्दे

I. अंगीकरण के लिए प्रतिजैविकों तथा पशु औषधियों की जाँच और विचार के लिए प्रस्तावित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) और निर्णय-वट

विशेष आमंत्रितियों ने प्राधिकरण को सम्मतियाँ देने हेतु समय देने का अनुरोध किया, जिस पर सम्मतियाँ देने के लिए उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया। मानक प्रभाग को कहा गया कि सम्मतियाँ प्राप्त होने के बाद वह उन्हें 3 दिनों के अंदर प्रस्तुत करे।

आगे, अध्यक्ष ने सचिवालय को निर्देश दिया कि वह कार्यसूची को बैठक से कम से कम 10 दिन पहले परिचालित करे, जिससे सदस्यों को इसके अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

II. नूतन अथवा गैर-विर्निष्ट खाद्य संघटकों/उत्पादों पर मानवीय दखल का अध्ययन करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की अनापत्ति

विशेष आमंत्रितियों ने इस समिति द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति जानने की इच्छा प्रकट की।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि विशेषज्ञ समिति अनुमोदन प्राधिकरी और डैटा उत्पादन के प्रारूप के लिए पद्धति/एसओपी तैयार करेगी। उद्योग मसौदा पद्धति पर अपनी सम्मतियाँ दे सकती है। सलाहकार (विज्ञान और मानक) ने सुझाव दिया कि पद्धति को अंतिम रूप देने से पहले उस पर सम्मति देने के लिए विशेषज्ञ समिति की अगली बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

III. शहद में कुल पराग संख्या तथा पादप तत्वों के निर्धारण की पद्धति

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

IV. शहद में Δδ13C फ्रू-ग्लु, Δδ13CMax तथा बाहरी ओलिगोसैक्करराइड आकलन की पद्धति

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तथापि, विशेष आमंत्रिती की पद्धति की बारे में कुछ टिप्पणियाँ थीं। उन्हें सुझाव दिया गया कि वे उन्हें प्रमुख (गुणता आश्वासन) को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

VI. जीन-परिवर्तित जीवाणुओं (जीएमओ)/जीएम-खाद्य के आयात नियंत्रण हेतु प्रतिचयन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

विशेष आमंत्रिती ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि प्रस्तावित मार्गदर्शी सिद्धांत भारत में आयातित "प्राथमिक फसलों" के लिए है, जिसके बारे में बताया गया कि आयात प्रभाग मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करते समय मामले को स्पष्ट करे।

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

घ. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में संशोधन करने के लिए एग्मार्क तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनिवार्य प्रमाणन से संबंधित अंतिमित अधिसूचना की अभिपुष्टि - सूचना और अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

ङ. सरसों के तेल के सम्मिश्रण पर प्रतिषेध लगाने से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2020 पर मसौदा अधिसूचना - विचारार्थ और अभिपुष्टि के लिए।

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

च. एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी मानकों/विनियमों और निर्देशों का क्रियान्वयन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

छ. स्वास्थ्य मंत्रालय को विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव भेजने की आवृत्ति के संबंध में कार्यालय ज्ञापन की अभिपुष्टि

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

31.2 **खाद्य आयात**

(क) आयातित खाद्य खेपों के साथ गैर-जीएम-सह-जीएममुक्त प्रमाण-पत्र की अपेक्षा - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ख) अफगानिस्तान से हींग का आयात - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ग) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) के साथ पठित धारा 25 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 13(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(घ) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के अध्याय-6 का संशोधन

विशेष आमंत्रितियों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहा कि 100% निर्यात के लिए आशयित उत्पादों के किन-किन मानदंडों का परीक्षण किया जाएगा। इस पर यह स्पष्ट किया गया कि घरेलू वस्तुओं पर लागू मानक उन पर भी लागू होंगे। तथापि, उन्हें विचारणीय वस्तु विशिष्ट की सूची देने को कहा। यह भी सुझाव दिया गया कि इस बात पर विचार करने के लिए मामलो को संबंधित वैज्ञानिक पैनल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि क्या हमें कच्चे और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित करने होंगे?

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

31.3 शासन और प्रशासन

(क) वर्ष 2019-20 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट - अनुमोदनार्थ

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ख) एफ.एस.एस.ए.आई के निम्नलिखित से संबंधित लेखे:

I. वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे,
II. वित्तीय वर्ष 2020-2021 को बजट, वित्तीय वर्ष 2020-2021 का संशोधित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान,

III. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त लेखानुदान तथा आंतरिक राजस्व प्राप्तियों के अलावा वर्ष 2019-20 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई की वित्तीय गतिविधियाँ

IV. वित्तीय विनियम,

V. डी.एफ.पी.आर के अनुसार वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

VI. पी.एफ.एम.एस का क्रियान्वयन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

31.4 खाद्य परीक्षण और निगरानी

(क) खाद्य प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित खाद्य प्रयोगशालाएँ - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ख) तेल सर्वेक्षण - सूचना के लिए

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

(ग) खोआ सर्वेक्षण - सूचना के लिए

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

31.5 खाद्य सुरक्षा अनुपालन

(क) वित्तीय वर्ष 2020-2021 से खाद्य कारोबारियों द्वारा वार्षिक विवरणी ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाना

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ख) जवाब न मिलने पर लाइसेंस/पंजीकरण के स्व-सृजन तथा आवेदनों के स्व-निरसन की नीति की पुनरीक्षा

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा अध्यक्ष को प्रस्ताव के क्रियान्वय के समय और सीमा के बारे में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया।

(ग) खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली - स्थिति

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

(घ) देश में खाद्य सुरक्षा पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापन

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ङ) क्षेत्रगत मामलों का सरलीकरण और सुधार

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(च) पैकेजबंद पेय जल तथा खनिज जल के लाइसेंस जारी करने के संबंध में बीआईएस तथा एफ.एस.एस.ए.आई के मध्य समन्वयन

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(छ) **एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस के लिए अपेक्षित प्रलेखों की संख्या का यौक्तिकीकरण**

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ज) वित्तीय वर्ष 2019-20 तक वार्षिक विवरणियाँ अथवा अर्ध-वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने अथवा देर से प्रस्तुत करने पर लगने वाले दंड में छूट देने की योजना

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद

पूरक कार्यसूची की मद संख्या 31.4

1. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों को प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन

   प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

2. एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों और प्रयोगशालाओं की संरचना

   प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

3. एफ.एस.एस.ए.आई में सीधी भर्ती की स्थिति

   प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

4. 'खाद्य श्रेणी 14.2.6 : आसुत स्प्रिटयुक्त बीवरेज में एल्युरा रेड का उपयोग

   प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

बैठक भाग लेने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

हस्ता/-	हस्ता/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

क. प्राधिकरण के सदस्य:

1. **सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई**
2. **श्री अरुण सिंघल, सदस्य सचिव**
3. **श्रीमती रीमा प्रकाश, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**
4. **श्री मनदीप भंडारी, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
5. **श्री आशीष गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
6. **डॉ. जे. माइकेल राजा, सहायक निदेशक, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय**

ख. विशेष आमंत्रिती

1. **सुश्री पर्णा दासगुप्ता, फिक्की**
2. **सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)**
3. **सुश्री श्रेया पांडेय, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोशिएशन(एआइएफपीए)**

ग. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. **श्री राजीव जैन, कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)**
2. **डॉ. शोभित जैन, कार्यकारी निदेशक (आरएस)**
3. **डॉ. एन. भास्कर, सलाहकार (मानक)**
4. **डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (मानक)**
5. **डॉ. अमित शर्मा, निदेशक (आयात)**
6. **सुश्री इनोशी शर्मा, निदेशक (एसबीसीडी)**
7. **श्री सानु जैकब, निदेशक (प्रयोगशाला प्रशिक्षण और निगरानी)**
8. **श्री शरद अग्रवाल, निदेशक (प्रशिक्षण)**
9. **श्री योगेश कामत, निदेशक**
10. **श्री शुभप्रदा निष्ताला, निदेशक (आईटीसीएफएसएएन)**
11. **श्री राज सिंह, प्रमुख (जीए)**
12. **श्री कुमार अनिल, प्रमुख (गुणता आश्वासन)**
13. **श्री सुनील बक्शी, प्रमुख (विनियम)**
14. **श्री ए.के. चाणना, प्रमुख (आइटी)**
15. **श्री आर.के. मित्तल, प्रमुख (आरसीडी)**

16. **डॉ. ए.सी. मिश्रा, संयुक्त निदेशक (विज्ञान और मानक)**
17. **श्री पी. कार्तिकेयन, उप निदेशक (कोडेक्स/विनियम)**
18. **डॉ. ए. के. शर्मा, विशेषज्ञ परामर्शदाता**
19. **डॉ. एस. सी. खुराना, प्रमुख विशेषज्ञ**
20. **श्री के. हरीश, सहायक निदेशक (विज्ञान और मानक)**
21. **सुश्री रत्ना श्रीवास्तव, वैज्ञानिक 4(1)(विनियम)**
22. **सुश्री कणिका अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी (गुणता आश्वासन)**
23. **श्री गणेश भट्ट, तकनीकी अधिकारी (विज्ञान और मानक)**
24. **सुश्री मनप्रीत कौर, तकनीकी अधिकारी (विज्ञान और मानक)**
25. **सुश्री अर्कालिना द्विवेदी, तकनीकी अधिकारी (विज्ञान और मानक)**
26. **सुश्री एमन जैदी, तकनीकी अधिकारी (विज्ञान और मानक)**

खाद्य प्राधिकरण की 31वीं बैठक (20.10.2020)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट

1. खाद्य मानक/विनियम

1. दिनांक 29 मई, 2020 को आयोजित प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद आयोजत वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें तथा मानक निर्धारण का कार्य

अवधि के दौरान वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें कई बार हुईं, जिनमें मानक मसौदे तैयार करने और खाद्य सुरक्षा पर सुझाव देने के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। उन द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर एफ.एस.एस.ए.आई की वैज्ञानिक समिति की बैठकों में विचार किया गया, जिन्हें खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए कार्यसूची में रखा गया है।

1.1 वैज्ञानिक समिति की बैठकें (1) : वैज्ञानिक समिति की 35वीं बैठक दिनांक 11 अगस्त, 2020 को आयोजित की गई।

1.2 वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें (19) : अवधि के दौरान प्रतिजैविक अवशिष्ट, दूध और दुग्ध उत्पाद तथा लेबलिंग पैनलों को छोड़कर निम्निलिखित पैनलों की बैठकें आयोजित की गईं:

i) पेस्टीसाइड अवशिष्ट वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 62वीं बैठक दिनांक 16.09.2020 को आयोजित की गई।

ii) जैविक खतरे वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 30वीं बैठक दिनांक 25.09.2020 को आयोजित की गई।

iii) धान्य, दालें और फलियाँ तथा उनके उत्पाद (बेकरी सहित) पैनल : पैनल की 25वीं बैठक दिनांक 17.09.2020 को आयोजित की गई।

iv) खाद्य श्रृंखला संदूषक वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 25वीं बैठक दिनांक 11.09.2020 को आयोजित की गई।

v) खाद्य सहयोज्य, सुवासकारी पदार्थ, प्रसंस्करण सहायक सामग्री और खाद्य संपर्क सामग्री वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 45वीं बैठक दिनांक 09.09.2020 को आयोजित की गई।

vi) फल और सब्जियाँ तथा उनके उत्पाद (सूखे फलों और गिरियों सहित) वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 20वीं बैठक दिनांक 11.07.2020 को आयोजित की गई।

vii) कृत्यकारी खाद्य, न्युट्रास्युटिकल्स, आहारिक उत्पाद तथा ऐसे ही अन्य उत्पाद वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 46वीं बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2020 को और 47वीं बैठक दिनांक 29 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई।

viii) कुक्कुट सहित मांस और मांस उत्पाद वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 14वीं बैठक दिनांक 18.09.2020 को आयोजित की गई।

ix) तेल और वसा वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 20वीं बैठक दिनांक 14.09.2020 को आयोजित की गई।

x) जल (सुवासित जल सहित) और बीवरेज (एल्कोहलीय और गैर-एल्कोहलीय) वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 18वीं बैठक दिनांक 08.09.2020 को आयोजित की गई।

xi) मसाले और पाक् जड़ी-बूटियाँ वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 08वीं बैठक दिनांक 15 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई।

xii) मिठाई, मिष्टान्न, मीठकारक, शर्करा और शहद वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 16वीं बैठक दिनांक 19.06.2020 को आयोजित की गई।

xiii) पैकेजबंदी वैज्ञानिक पैनल: पैनल की दूसरी बैठक दिनांक 24.09.2020 को आयोजित होगी।

xiv) जीन-परिवर्तित खाद्य वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 20वीं बैठक दिनांक 06.07.2020 को आयोजित की गई।

xv) मछली और मत्स्य उत्पाद वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 20वीं बैठक दिनांक 22.09.2020 को आयोजित की गई।

xvi) एल्कोहलीय बीवरेज वैज्ञानिक पैनल : पैनल की दूसरी बैठक दिनांक 23.09.2020 को आयोजित की गई।

xvii) पौषण और पौष्टिकीकरण वैज्ञानिक पैनल : पैनल की 14वीं बैठक दिनांक 30 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई।

xviii) प्रतिचयन और खाद्य विश्लेषण पद्धति : पैनल की 28वीं बैठक दिनांक 18.06.2020 को आयोजित की गई।

2. एक नए मूल विनियम अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 सहित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011; खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011; खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम में संशोधन संबंधी कुल 16 अंतिमित अधिसूचनाएँ भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गईं।

3. लेबलिंग और प्रदर्श तथा शिशु पोषण आहार से संबंधित नए मूल विनियमों सहित खाद्य वस्तुओं के बारे में संशोधन की कुल 8 अंतिमन अधिसूचनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। वे विधीक्षा तथा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। हितधारकों के सुझाव और सम्मतियाँ आमंत्रित करने के लिए 8 संशोधन मसौदा अधिसूचनाएँ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई हैं।

2. खाद्य परीक्षण और निगरानी

2.1 खाद्य सुरक्षा पारितंत्र का सशक्तीकरण

2.1.1 राज्यों की खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

राज्य में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने/सशक्त करने के लिए अक्टूबर, 2020 में हिमाचल प्रदेश की खंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैबोरेटरी में सूक्ष्मजैविक प्रयोगशाला हेतु ₹ 0.50 करोड़ का अनुदान दिया गया। इससे उन्नयन के लिए स्वीकृत/ जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 312.98 करोड़ से बढ़कर ₹ 313.48 करोड़ हो गया। यह अनुदान 29 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की 39 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को दिया गया।

2.1.2 चल खाद्य सुरक्षा (एफएसडब्ल्यू)

2 अन्य एफएसडब्ल्यू स्वीकृत/वितरित की गई, जिससे 33 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को स्वीकृत/वितरित की गई एफएसडब्ल्यू की कुल संख्या 88 से बढ़कर 90 हो गई।

2.2 क्षमता-निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण एफ.एस.एस.ए.आई ने लॉकडाउन अवधि का लाभ उठाते हुए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों, एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं, अन्य प्रयोगशालाओं के प्रयोगशाला कार्मिकों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, खाद्य कारोबारियों, निर्यात उद्योग, छात्रों और ग्राहकों के लिए आईटीसी-मुंबई के सहयोग से लाइव प्रशिक्षण सत्रों (प्रयोगिक सत्रों) सहित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2020 में कुल 287 ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इनमें कुल 100,747 व्यक्तियों ने भाग लिया1

3. खाद्य आयात

3.1 **गोल्डन सिरप/इन्वर्ट शूगर सिरप/राइस सिरप का आयात : शहद की गुणता बढ़ाने तथा उसके उत्पादन में आयातित गोल्डन सिरप/इन्वर्ट शूगर सिरप/राइस सिरप का दुरुपयोग रोकने के लिए गोल्डन सिरप/इन्वर्ट शूगर सिरप/राइस सिरप के आयातक सभी आयातकों/खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया कि वे उत्पादक के विवरण सहित उस अंत्य उपभोक्ता का विवरण भी दें जिन्हें वे उक्त आयातित खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे तथा प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आयातित गोल्डन सिरप/ इन्वर्ट शूगर सिरप/राइस सिरप की निर्मुक्त खेपों के विवरण संबंधित केंद्रीय अभिनामित अधिकारी को दें (आदेश संख्या 1-1600/एफएसएसएआई/आयात/2016(भाग 18), दिनांक 20.5.2020 *परिशिष्ट-1 पर* संलग्न है)।**

4. **प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण**

4.1 कोविड-19 निवारक मार्गदर्शी सिद्धांतों पर प्रशिक्षण

एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य कारोबारियों के लिए कोविड-19 निवारक मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया1 प्रशिक्षण माड्यूल एफ.एस.एस.ए.आई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया था। यह कोविड प्रशिक्षण निशुल्क है तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रशिक्षित तथा प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की अवधि केवल 2 घंटे है। पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 अप्रैल, 2020 को आयोजित किया गया था। अब तक 90,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

4.2 खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम

अनुसूची 4 पर खाद्य कारोबारियों के लिए वृहद् स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम फोस्टैक अब ऑनलाइन भी दिया जाने लगा है। कोविड महामारी के दौरान भौतिक कक्षाओं पर प्रतिबंध लग जाने के कारण ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं आकलन शुरू हो गया था। लगाग 400 प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन किए गए, जिनमें 16,500 खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें स्ट्रीट फूड वेंडर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। तथापि, इस समय दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पृथक कोविड पाठ्यक्रमों के अलावा नियमित फोस्टैक पाठ्यक्रम में एक घंटे का अनिवार्य कोविड प्रशिक्षण शामिल किया गया है1 वर्तमान में फोस्टैक कार्यक्रम के 241 सक्रिय प्रशिक्षण सहयोगी हैं तथा 2000 से अधिक प्रशिक्षक हैं। अब तक 15063 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 3.38 लाख से अधिक खाद्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

एमडीएम योजना, आईसीडीएस योजना, सरकारी कैंटीनों तथा धार्मिक स्थानों के खाद्यकर्मियों के प्रशिक्षण का विशेष अभियान चलाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में इन क्षेत्रों के के लिए 400 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।

फोस्टैक के अन्य कार्यक्रमों के लिए (एमओयू के अंग के रूप में) ऐसे ही प्रशिक्षण अभियान चलाने पर कार्य किया जा रहा है।

4.3 विनियमाक स्टाफ प्रशिक्षण

प्रशिक्षण प्रभाग ने ऑनलाइन माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आईटीसीएफएसएएन इस कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी थी।

एफ.एस.एस.ए.आई के क्षमता-निर्माण पहल में उपर्युक्त विकास को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक सामान्य प्रशिक्षण पोर्टल बनाने का विचार किया है, जो

एफ.एस.एस.ए.आई की सभी प्रशिक्षण पहलों को एक ही जगह ला देगा। जेनरिक अंश, यथा एफ.एस.एस. अधिनियम के अधिनियमन की पृष्ठभूमि, खाद्य सुरक्षा की आधारभूत अवधारणा इत्यादि अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से प्रचारित किए जाएँगे तथा उनका इस पोर्टल के माध्यम से आकलन किया जाएगा। इस संबंध में यह उल्लेख है कि प्रशिक्षण प्रभाग ने दो फोस्टैक मैनुअल अर्थात् एडवांस्ड कैटरिंग और एडवांस्ड उत्पादन मैनुअल को पहले ही डिजिटाइज कर दिया है।

5. खाद्य सुरक्षा अनुपालन

5.1 फॉस्कोस की शुरुआत

खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) आरंभ में 9 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, चंडीगढ़, तमिल नाडु, गुजरात, गोआ, मणिपुर, ओडिशा, पुदुचेरी और लद्दाख में दिनांक 01 जून, 2020 से आरंभ की गई थी। इसने मौजूदा ऑनलाइन खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफएलआरएस) की जगह ले ली है। फॉस्कोस क्लाउड-आधारित सर्वर पर अपग्रेडिड सोफ्टवेअर एवं हार्डवेअर से काम करता है तथा इससे मौजूदा एफएलआरएस पोर्टल की धीमी रफ्तार के बारे में प्राप्त हो रही शिकायतों का निवारण हो जाएगा। फॉस्कोस का ध्येय खाद्य सुरक्षा के लिए एकल स्थाने 'अनुपालन पोर्टल' के रूप में काम करना है तथा इसमें भविष्य में प्रयोजनमूलक दृष्टि से अधिक माड्यूल होंगे, यथा एडवांस्ड एमआईएस, ऑडिट माड्यूल, इन्फोल्नेट से लिंकेज, हाइजीन रेटिंग इत्यादि। फॉस्कॉस में एफएलआरएस वाला फ्लो ही रखा गया है, ताकि वह उपयोगकर्ताओं के लिए सहज हो। मुख्य परिवर्तन उत्पादकों के लिए लाइसेंसिंग की पद्धति में किया गया है, जो अब टेक्स्ट बॉक्स आधार पर न होकर मानकीकृत उत्पाद सूची पर आधारित होगी। फॉस्कोस में वार्षिक विवरणी दाखिल करने का मॉड्यूल भी शामिल कर लिया गया है। अनिवार्य प्रलेखों को युक्तिसंगत बनाया गया है तथा अनेक लिखित घोषणाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसका प्रयोजन कोई समझौता किए बिना खाद्य कारोबारियों के लिए कारोबार को सरल बनाना है। दिनांक 01 सितंबर, 2020 से पहले शेष 27 राज्यों/ संघाशासित क्षेत्रों में भी फॉस्कोस को चालू कर देने की योजना है। दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 के क्रमांक 15(31)2020/फॉस्कोस/आरीसीडी/एफएसएसएआई के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई थी।

5.2 लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए मानकीकृत खाद्य उत्पादों का प्रयोग करना

फॉस्कोस में कार्यान्वित एक प्रमुख परिवर्तन लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में टैक्स्ट-आधारित दृष्टिकोण को लिस्टिंग दृष्टिकोण में बदलना है। इसका खाद्य प्राधिकरण की 29वीं

बैठक में अनुमोदन किया गया था तथा इसे अब फॉस्कोस में कार्यान्वित कर दिया गया है। नए नजरिये से विश्वसनीय डैटा के सृजन तथा डैटा विश्लेषण में सहायता मिलेगी। इससे लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय उपयोगकर्ताओं के कारोबार को सरल बनाने में सहायता मिलेगी। मानकीकृत खाद्य उत्पादों को खाद्य श्रेणी प्रणाली से जोड़ दिया गया है तथा उसे अब खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) में शामिल कर दिया गया है। इस पद्धति से उत्पादक के लिए टेक्स्ट बॉक्स दृष्टिकोण की जगह मानकीकृत उत्पादों से चयन के दृष्टिकोण की शुरुआत होगी।

5.3 एफ.एस.एस.ए.आई तथा राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के मध्य समझौता

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की है। तथापि, देश में खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम संबंधी अवसंरचना और विनियमात्मक विचलन देखने में आते हैं, जो राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं। हाल ही में कई रिपोर्टों में देश के खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम में अवसंरचना और विनियमन संबंधी विचलनों पर प्रकाश डाला गया है। इन अंतरों को योजनाबद्ध तथा आवश्यकतानुसार पाटने की आवश्यकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा रीतियाँ पूरे देश में एक जैसी हों। तकनीकी ज्ञान के समामेलन तथा उत्तम रीतियों के माध्यम से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम में अंतरों को पाटने तथा सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य की संस्कृति पनपाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई का साझा जिम्मेदारी के रूप में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को तकनीकी तथा वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता देने का विचार है। तदनुसार देश में खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के साथ समझौते का प्रस्ताव है। प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य निम्नानुसार है:

i) प्रवर्तन तथा अनुपालन प्रणाली को सशक्त बनाना,
ii) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण प्रणाली को सशक्त बनाना,
iii) ईट राइट इंडिया के अंतर्गत विभिन्न पहलों का रीतिबद्ध रूप में सशक्तीकरण,
iv) खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक अन्य कोई मामला।

6. शासन और प्रशासन

कार्यालय तथा प्रयोगशाला के लिए जगह इत्यादि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (1306 वर्गमीटर) तथा जेएनपीटी टाउनशिप, नवी मुंबई (11,873 वर्गमीटर) की जगह में दिनांक 29.01.2020 से 30 वर्ष की

दीर्घावधि के लिए कार्यालय खोल लिए हैं। प्राधिकरण चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट तथा जेएनपीटी, मुंबई को क्रमश: ₹ 17,09,04,516/- तथा ₹ 2,52,95,102/- की एकमुश्त अदायगी की है। इन जगहों के पट्टों के करारनामों पर क्रमश: दिनांक 17 अगस्त, 2020 तथा दिनांक 26 अगस्त, 2020 को हस्ताक्षर किए गए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने आबंटन पत्र संख्या पी.15025/96/2019-एफआर(भाग 2), दिनांक 18 जून, 2020 द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई हेतु कार्यालय आवास के लिए मास मेलिंग यूनिट(एमएमयू) भवन में द्वितीय तल तथा टीरेस पर अस्थायी संरचना का अबंटन किया है। दो लिफ्टों के प्रावधान सहित इस जगह का अब नवीकरण कराया जा रहा है। इनका कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है तथा वह मार्च, 2021 तक पूरा हो जाने की आशा है।

7. सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन

29 मई, 2020 के बाद अब तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:

7.1 सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन संबंधी संप्रेषण

7.1.1 गतिविधियाँ

क. शहरों तथा जिलों के लिए ईट राइट चैलेंज की शुरुआत

ख. ईट राइट रचनात्मकता चुनौती की शुरुआत

ग. नेटप्रोफैन मासिक चुनौतियाँ

i) सितंबर का विषय : खाद्य पौष्टिकीकरण - जिंगल प्रतियोगिता

ii) अक्टूबर का विषय: एच.एफ.एस.एस

7.1.2 आईईसी

क. प्रशिक्षण पर छोटे-छोटे वीडियो

ख. ईट राइट स्कूल के वीडियो को स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के साथ मिलाना

ग. सोशल मीडिया के माध्यम से पोषण माह को सहयोग

7.1.3 प्रकाशन

क. ईट राइट हैंडबुक

ख. क्या आप सही भोजन करते हैं?

ग. कोविड के बाद कैंटीन/भोजनालय खोलने के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मार्गदर्शिका

घ. ओरेंज बुक (पुनरीक्षित)

ङ. नेटप्रोफैन न्यूजलैटर की शुरुआत

7.1.4 प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

क. स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण

7.1.5 आगे की योजनाएँ

क. फूड फाउंडेशन तथा स्मार्ट सिटी मिशन के सहयोग से ईट राइट स्मार्ट सिटी के लिए ईट राइट चैलेज

ख. समाचार-पत्रों में विज्ञापन

7.2 खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र

7.2.1 एडवोकेसी

क. आहारों पर राष्ट्रीय वेबिनार - चावल, गेहूँ के आटे, तेल पर

ख. राज्य स्तरीय क्षेत्रीय वेबिनार - पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र

ग. सोशल मीडिया के माध्यम से पोषण माह को सहयोग

7.2.2 आईईसी

क. कर्नाटक/आंध्र प्रदेश/उत्तर के लिए आईईसी पोस्टर/डेंगलर

ख. पौष्टिकीकरण पर लघु वीडियो

7.2.3 प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

क. सभी राज्यों के आईसीडीएस अधिकारियों के लिए एनआईपीपीसीडी के सहयोगसे 4 संयुक्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण

7.2.4 प्रकाशन

क. पौष्टिकीकरण के लिए आहारिक अनुशंसाएँ - राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए हैंडबुक (पौष्टिकीकरण के क्रियान्वयन को स्पष्ट करने तथा सहयोग देने हेतु)

--